भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या 2A/2016-17

रामराई गागराई बनाम सोमवारी देवी

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
23.6.2018	अभिलेख उपस्थापित। बिक्रेता रामराई गागराई पिता स्व0 चुम्बरु गागराई, ग्राम–छोटा सरगीडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु क्रेता सोमवारी देवी पति स्व0 सिदिऊ गागराई, ग्राम–छोटा सरगीडीह, थाना–खरसावाँ, जिला–सरायकेला–खरसावां को निम्नांकित भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये थे। न्यायालय द्वारा निर्गत सूचना एवं आवेदन का अंचल अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं कराया गया। आवेदक पक्ष की ओर से कोई पैरवी या रुचि नहीं लिया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक का यथा आवश्यकता पूर्ण हो गयी है। अतः ऐसे स्थिति में वाद को निस्तार किया जाता है। आवेदक यदि चाहे तो पुनः आवेदन समर्पित कर सकते है। 23/06/18 भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सरायकेला।	